

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 20 (101)408 / आयो / निकाशि / 2012 /

दिनांक: नवम्बर, 2012

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय

अजमेर, भीलवाडा, डीडवाना, सिरोही, चूरु, बांसवाडा, कालाडेरा
बीकानेर, ब्यावर टोंक कला अलवर, सीकर सांभरलेक, बून्दी,
जैसलमेर, सरदारशहर करौली किशनगढ, भरतपुर
महिला कोटा, महिला बीकानेर एवं महिला उदयपुर


विषय :- वर्ष 2011-12 में आयोजना मद के अन्तर्गत सेन्टर फार एक्सीलेन्स योजना के तहत आवंटित राशि के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2011-12 में आयोजना मद के अन्तर्गत सेन्टर फार एक्सीलेन्स योजना के तहत आपको विभाग के द्वारा 1.10 लाख रु की राशि आवंटित की गयी थी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना के तहत किये गये कार्यों के उपयुग्ता प्रमाण पत्र अविलम्ब भिजवाये जिससे कि प्रधान लेखाकार को प्रतिवेदन का प्रत्युत्तर भिजवाया जा सकें।

भवदीय



संयुक्त निदेशक (आयोजना)

क्रमांक: एफ 20 (101) आयो / निकाशि / 2012 / 793

दिनांक: 5.11.2012

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 वित्तीय सलाहकार कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को उनके यू.ओ. नोट क्रमांक 1622 दिनांक 22.11.2012 के संदर्भ में।
- 2 डा. धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता प्रभारी, वेबसाइट को भेजकर लेख है कि पत्र को अपलोड करने का श्रम करें।


संयुक्त निदेशक